W.S.

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक,

अपर परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद,
राज्य परियोजना कार्यालय,
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
   समस्त जनपद, उ0प्र0।

2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: गुण0वि0– नवीन क्यूएमटी प्रपत्र/3287/2014–15 दिनांक 26 नवम्बर, 2014

विषयः– **आर0टी0ई0 2009 के परिप्रेक्ष्य में क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स (Quality Monitoring Tools) पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि विद्यालयीय गुणवत्ता के विविध आयामों से सम्बन्धित सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स (**Quality Monitoring Tools**) विकसित किये हैं, जो गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्रों (Quality Monitoring Tools) पर त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर सूचनाएं संकलित करने के सम्बन्ध में है।

"निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के परिपेक्ष्य में उपरोक्त Quality Monitoring Tools (QMT) समस्त विद्यालयों/विद्यालय प्रबंध समिति/एन.पी.आर.सी./बी.आर.सी./जनपदों को उपलब्ध कराया जाना है जिनके आधार पर आवश्यक जानकारियों को संकलित/रिपोर्टिंग करते हुए आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर अनुसमर्थन व अनुश्रवण की कार्यवाही की जा सके।

सूच्य है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–गुण0वि0–नवीन क्यू0एम0टी0 प्रपत्र/3588/2013–14 दिनॉक 01 नवम्बर, 2013 के साथ उक्त क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स (**Quality Monitoring Tools**) की एक–एक हार्ड और साफ्ट कॉपी प्रत्येक जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

तदनुसार विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्रों को पूर्ण करके उपलब्ध कराने हेतु निम्न समय–सारिणी प्रस्तावित है :–

क्र0	संस्था	निर्धारित प्रपत्र	आवृत्ति	आच्छादित समयावधि	अगले स्तर को संकलित प्रपत्र उपलब्ध कराने का समय
1	विद्यालय प्रबंध समिति	School Management Committee Format **(SMCF)**	02	जुलाई–दिसम्बर जनवरी–जून	05 जनवरी 05 जुलाई

दूरभाषः 2780995 फैक्सः 0522-2781123, 2780998 ई–मेलः spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com वेब–साइटः www.upefa.com

2	विद्यालय	School Monitoring Format **(SMF)** & Classroom Observation Schedule **(COS)**	04	जुलाई –सितम्बर अक्टूबर–दिसम्बर जनवरी–मार्च अप्रैल–जून	05 अक्टूबर 05 जनवरी 05 अप्रैल 05 जुलाई
3	न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0)	Cluster Monitoring Format **(CMF)**	04	जुलाई –सितम्बर अक्टूबर–दिसम्बर जनवरी–मार्च अप्रैल–जून	10 अक्टूबर 10 जनवरी 10 अप्रैल 10 जुलाई
4	ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)	Block Monitoring Format **(BMF)**	04	जुलाई –सितम्बर अक्टूबर–दिसम्बर जनवरी–मार्च अप्रैल–जून	15 अक्टूबर 15 जनवरी 15 अप्रैल 15 जुलाई
5	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)	District Monitoring Format **(DMF)**	04	जुलाई –सितम्बर अक्टूबर–दिसम्बर जनवरी–मार्च अप्रैल–जून	20 अक्टूबर 20 जनवरी 20 अप्रैल 20 जुलाई
6	राज्य परियोजना कार्यालय	State Monitoring Format **(STMF)**	02	जुलाई–दिसम्बर जनवरी–जून	25 जनवरी 25 जुलाई

1. विद्यालय स्तर के प्रपत्र

- SMCF विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा भरा जाएगा। इसकी एक प्रति विद्यालय में रहेगी तथा एक प्रति न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी।
- SMF विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा भरा जाएगा। इसकी एक प्रति विद्यालय में रहेगी तथा एक प्रति न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी।
- COS न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र के समन्वयक द्वारा द्वारा भरा जाएगा। इसकी एक प्रति विद्यालय में रहेगी तथा एक प्रति न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र स्तर के प्रपत्र

- SMCF, SMF एवं COS से प्राप्त सूचनाओं का न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा विश्लेषण करने के उपरांत विद्यालयों को वांछित अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा SMF को संकलित कर CMF भरा जाएगा। इसी प्रकार SMCF एवं COS को भी संकलित करेगा। इन तीनों प्रपत्रों की एक प्रति न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र में रहेगी तथा एक प्रति ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी।

3. ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र स्तर के प्रपत्र

- SMCF, CMF एवं COS से प्राप्त सूचनाओं का ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा विश्लेषण करने के उपरांत विद्यालयों और न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्रों को वांछित अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा CMF को संकलित कर BMF भरा जाएगा। इसी प्रकार SMCF एवं COS को भी संकलित करेगा। इन तीनों प्रपत्रों की एक प्रति ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र में रहेगी तथा एक–एक प्रति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

4. <u>जनपद स्तर के प्रपत्र</u>

- SMCF, BMF एवं COS से प्राप्त सूचनाओं को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में समस्त जिला समन्वयकों एवं प्रवक्ताओं द्वारा विश्लेषण करने के उपरांत विद्यालयों, न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्रों और ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्रों को वांछित अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा BMF को संकलित कर DMF भरा जाएगा। इसी प्रकार SMCF एवं COS को भी संकलित किया जायेगा। SMCF एवं COS को जनपद स्तर पर ही रखा जायेगा। DMF की एक–एक प्रति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला परियोजना कार्यालय में रहेगी तथा एक–एक प्रति राज्य परियोजना कार्यालय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. <u>राज्य स्तर के प्रपत्र</u>

- DMF से प्राप्त सूचनाओं को राज्य परियोजना कार्यालय के गुणवत्ता प्रकोष्ठ, आर.टी.ई. प्रकोष्ठ और बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा विश्लेषण करने के उपरांत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों और जिला परियोजना कार्यालयों को वांछित अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात DMF को संकलित कर STMF भरा जाएगा। इसकी एक प्रति प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली को उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रत्येक स्तर पर वॉछित क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स (**Quality Monitoring Tools**) प्रपत्रों की संख्या का आगणन कर **REMS** मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से प्रपत्र मुद्रित कराकर विद्यालय, विद्यालय प्रबन्ध समिति, न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराये जायें तथा आवश्यक जानकारियों को संकलित/रिपोर्टिंग करते हुए आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर अनुसमर्थन व अनुश्रवण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।

उक्त संबंध में आपसे अपेक्षा है कि संलग्न अनुश्रवण प्रपत्रों पर संकलित की गयी सूचनाओं का विश्लेषण करके फीड बैक का उपयोग विद्यार्थियों के अधिगम संवर्द्धन हेतु किया जाये तथा जिला स्तरीय विश्लेषण प्रपत्र (DMF) उपर्युक्त समय–सारिणी के अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,
26.11.14
कु0(रमेश शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पृष्ठांकन गुण0वि0– नवीन क्यूएमटी प्रपत्र/3287/2014–15 तद्दिनांक।
<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागाध्यक्ष, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) समस्त मण्डल, उ0 प्र0।
5. समस्त जिला समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद।

26.11.14
कु0(रमेश शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक